Regarding exemption to the existing teachers from mandatory eligibility examination, TET in view of 2010 notification

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : धन्यवाद माननीय सभापति महोदया,माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इश्यू को उठाया है वह उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है । केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र संख्या 2,215, दिनांक 25 अगस्त, 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में अध्यापक के पद पर नियुक्ति की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है । वर्ष 2010 में यह योग्यता निर्धारित की गई । इसके आधार पर बाद में जो भर्ती होगी, उस पर यह लागू होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण जिन्होंने 20,25,30 सालों तक नौकरी की है, उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि नेट, यूजीसी ने निर्धारित किया था कि डिग्री कॉलेजों में जो अध्यापक पहले से कार्यरत थे, उन पर नेट क वालिफिकेशन लागू नहीं होगा । इसी प्रकार मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि यह जो बाध्यता आ रही है, इस हेतु सदन में कोई कानून बनाया जाए, ताकि जो अध्यापक पहले से कार्यरत हैं, उनको पात्रता परीक्षा न देनी पड़े । यह आपके माध्यम से मेरी मांग है । धन्यवाद ।